

कार्यालय : मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल
आदेश संख्या-सेवाएं-3क(2)/अराज0/पदो0/ 13 /2015-16 दिनांक 13 अप्रैल, 2015

विज्ञप्ति/पदोन्नति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 के भाग-5 भर्ती प्रक्रिया के प्रस्तर-16(1) में निहित प्राविधानों तहत राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालयों में समान वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी वेतनक्रम-9300-34800 ग्रेड वेतन-4600 में उनके विकल्प के आधार पर सहायक अध्यापक स्नातक वेतनक्रम में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-06 में अंकित विद्यालय में पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्तता को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्रदान की जाती है। उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं को आदेश निर्गत की तिथि से 15 दिन के भीतर अपने पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। पदोन्नति के फलस्वरूप तैनाती के विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने वाले शिक्षक/शिक्षिकाओं की आगामी तीन वर्ष तक पदोन्नति नहीं की जायेगी। पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी। उक्त पदोन्नतियां माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित याचिका संख्या-225/एस0एस0/2015 एवं सम्बन्धित अन्य रिट याचिकाओं में माननीय न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगी।

विषय-व्यायाम (सामान्य शाखा)

क्र0 स0	शिक्षक/शिक्षिका का नाम पदनाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद	जन्म तिथि	पदस्थापित विद्यालय का नाम	अन्य विवरण
01	02	03	04	05	06	07
01	श्री मयंक पन्त स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 घोडानाला	नैनीताल	15/03/1968	रा0इ0का0 पैटना, नैनीताल	-
02	श्रीमती नीमा साह स0अ0	रा0पू0मा0वि0 कफूडा	नैनीताल	28/09/1967	रा0उ0मा0वि0 बांसी, नैनीताल	-
03	लाल बहादुर सिंह हयांकी प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 सिंदांग	पिथौरागढ़	05/05/1968	रा0इ0का0 बलुवाकोट, पिथौरागढ़	-
04	विक्रम सिंह दिगारी	सी0आर0सी0 पाली	पिथौरागढ़	20/06/1968	रा0उ0मा0वि0 बिण, पिथौरागढ़	-
05	श्री गोपाल सिंह स0अ0	रा.उ.प्रा.वि., तिमिलावगड	बागेश्वर	01/11/1968	रा0उ0मा0वि0 नाचती, बागेश्वर	-
06	श्री किशोर कुमार स0अ0	रा0जू0हा0 मिर्ठी	पिथौरागढ़	01/10/1969	रा0इ0का0 दूनाकोट, पिथौरागढ़	-
07	श्री महेश सिंह बिष्ट स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 कोट अमोड़ी	चम्पावत	01/06/1971	रा0इ0का0 पोखरी, नैनीताल डी0 श्रेणी	-
08	मनोज सिंह स0अ0	रा0जू0हा0 उखड़ीसेड़ी	पिथौरागढ़	21/08/1971	रा0इ0का0 पीपलकोट, पिथौरागढ़	-
09	त्रिलोक सिंह स0अ0	रा0क0जू0हा0 खोलियागांव	पिथौरागढ़	04/07/1972	रा0उ0मा0वि0 बिगराबाग, उधमसिंहनगर	-
10	जीवन सिंह खोलिया प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 हाटथर्प	पिथौरागढ़	10/11/1972	रा0इ0का0 भड़कटिया, पिथौरागढ़	-
11	श्री चिदम्बर जोशी प्र0अ0	रा.उ.प्रा.वि. सुयालगाड़	नैनीताल	10/06/1969	रा0उ0मा0वि0 किच्छा, उधमसिंहनगर	-
12	श्री कुन्दन राम	सी.आर.सी. माधनचौड़	नैनीताल	20/09/1969	रा0उ0मा0वि0 नाई, नैनीताल	-
13	श्री कैलाश चन्द्र स0अ0	रा.उ.प्रा.वि. लोदगल्ला	नैनीताल	10/08/1970	रा0इ0का0 नौकुचियाताल, नैनीताल	-
14	श्री शिवेन्द्र सिंह नेगी स0अ0	रा.उ.मा.वि. ओखलदूंगा	नैनीताल	20/11/1970	रा0उ0मा0वि0 इन्द्रपुर, नैनीताल बी0 श्रेणी	-
15	श्री नवीन चन्द्र पाण्डे स0अ0	एन.पी.आर.सी. ज्योलीकोट	नैनीताल	01/07/1971	रा0इ0का0 बंगोड़ा, अल्मोड़ा	-

(श्रीमती सुषमा सिंह)
मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल
क्रमशः पेज 2.....

पृ0सं0/सेवाएं-3क(2)/अराज0/ 329-39

/2015-16 दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 01- सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, शासन, देहरादून।
- 02- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 03- निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 04- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- 05- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)।
- 06- वरिष्ठ कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद।
- 07- वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- 08- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
- 09- सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य को इस आशय के साथ कि पदोन्नत शिक्षक को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों का निम्नानुसार भली-भाँति परीक्षण/सत्यापन कर लें, तभी सम्बन्धित को कार्यभार मुक्त/ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
 - (क)- अध्यापक स्नातक उपाधि प्राप्त हो।
 - (ख)- प्रथम नियुक्ति (प्रशिक्षित वेतनमान) के उपरान्त 31 जून, 2014 की तिथि तक कुमाऊँ मण्डलान्तर्गत न्यूनतम 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा वर्तमान में वेतनमान-9300-34800 (ग्रेड वेतन-4600) में कार्यरत हों।
 - (ग)- शासनादेश/नियमावली के अनुसार निर्धारित विषय संयोजन सम्बन्धी उपबन्ध पूर्ण करता हो।
 - (घ)- पदोन्नत अध्यापक को प्रशिक्षित स्नातक न होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा गठित संस्था के माध्यम से निर्धारित प्रमाण पत्र अथवा एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना होगा। यदि उक्त प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा नियुक्ति वर्ष के पश्चात के तीन वर्षों में प्राप्त नहीं किया जाता है तो अगली वेतनवृद्धि तभी देय होगी जब कि ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त कर लेंगे। परन्तु यह कि पदोन्नति की तिथि को 55 वर्ष अथवा अधिक आयु के अभ्यर्थी के लिए ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।
- 10- सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि के 15 दिन भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो उनकी पदोन्नति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य के सम्मुख अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) प्रस्तुत करेंगे।
- 11- कार्यालय आदेश पंजिका।

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

कार्यालय : मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल
आदेश संख्या-सेवाएं-3क(2)/अराज0/पदो0/ **13** /2015-16 दिनांक 13 अप्रैल, 2015

विज्ञापित/पदोन्नति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 के भाग-5 भर्ती प्रक्रिया के प्रस्तर-16(1) में निहित प्राविधानों तहत राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालयों में समान वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी वेतनक्रम-9300-34800 ग्रेड वेतन-4600 में उनके विकल्प के आधार पर सहायक अध्यापक स्नातक वेतनक्रम में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-06 में अंकित विद्यालय में पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्तता को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्रदान की जाती है। उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं को आदेश निर्गत की तिथि से 15 दिन के भीतर अपने पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। पदोन्नति के फलस्वरूप तैनाती के विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने वाले शिक्षक/शिक्षिकाओं की आगामी तीन वर्ष तक पदोन्नति नहीं की जायेगी। पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी। उक्त पदोन्नतियां माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित याचिका संख्या-225/एस0एस0/2015 एवं सम्बन्धित अन्य रिट याचिकाओं में माननीय न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगी।

विषय-व्यायाम (सामान्य शाखा)

क्र0 स0	शिक्षक/शिक्षिका का नाम पदनाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद	जन्म तिथि	पदस्थापित विद्यालय का नाम	अन्य विवरण
01	02	03	04	05	06	07
01	दिगम्बर दत्त फुलोरिया स0अ0	रा0पू0मा0वि0छतोला	अल्मोड़ा	15/07/1971	रा0उ0मा0वि0 छतोलाबलमा, अल्मोड़ा	-
02	श्री जगदीश चन्द जोशी स0अ0	रा.क.उ.प्रा.वि. फूलचौड़	नैनीताल	01/07/1972	रा0उ0मा0वि0 किशनपुर, नैनीताल	-
03	श्री भवान सिंह बंगारी स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 कफलगाँव	अल्मोड़ा	15/06/1973	रा0उ0मा0वि0 गूलरघट्टी, नैनीताल ए	-
04	श्री गोपाल सिंह भोज स0अ0	रा.उ.प्रा.वि., द्यौरड़ा	बागेश्वर	02/07/1974	रा0इ0का0 मनान, अल्मोड़ा	-
05	श्री प्रमोद कुमार स0अ0	रा.उ.प्रा.वि., चचई	बागेश्वर	05/03/1975	रा0इ0का0 हड़बाड़, बागेश्वर	-
06	श्री नेत्र सिंह प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 गोगई	पिथौरागढ़	22/10/1967	रा0इ0का0 बरम, पिथौरागढ़	-
07	गिरीश चन्द्र जोशी स0अ0	रा0जू0हा0 ननौली	पिथौरागढ़	24/04/1968	रा0उ0मा0वि0 हल्द्वू, पिथौरागढ़	-
08	श्री शेखर सिंह स0अ0	रा0जू0हा0 पमस्यारी	पिथौरागढ़	10/01/1970	रा0इ0का0 बगड़ीहाट, पिथौरागढ़	-
09	प्रताप सिंह स0अ0	रा0जू0हा0 बौनकोट	पिथौरागढ़	05/03/1970	रा0उ0मा0वि0 बोनकोट, पिथौरागढ़	-
10	हेमन्त कुमार उपाध्याय स0अ0	रा0जू0हा0 पोखरी	पिथौरागढ़	07/04/1971	रा0उ0मा0वि0 प्रतापपुर कोटाबाग, नैनीताल	-
11	गोविन्द सिंह कोरंगा प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 के - ब्लॉक बेनी पन्तनगर	उ0सि0न0	20/05/1971	रा0इ0का0 मडलक, चम्पावत	-
12	राजीव कुमार प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 खड़कपुर देवीपुरा	उ0सि0न0	04/06/1971	रा0इ0का0 पनियों, चम्पावत	-
13	भुवन चन्द्र उप्रेती स0अ0	रा0जू0हा0 देवपुरी	पिथौरागढ़	30/08/1971	एस0डी0एस0 पिथौरागढ़	-
14	शिवराज सिंह बनकोटी स0अ0	कन्या जू0हा0 बनकोट	पिथौरागढ़	30/06/1972	रा0इ0का0 स्यालीधार, अल्मोड़ा	-

(श्रीमती सुषमा सिंह)
मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल
क्रमशः पेज 2.....


पृ0सं0/सेवाएं-3क(2)/अराज0/ 339-48

/2015-16 दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 01- सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, शासन, देहरादून।
- 02- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 03- निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 04- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- 05- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)।
- 06- वरिष्ठ कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद।
- 07- वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- 08- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
- 09- सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य को इस आशय के साथ कि पदोन्नत शिक्षक को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों का निम्नानुसार भली-भाँति परीक्षण/सत्यापन कर लें, तभी सम्बन्धित को कार्यभार मुक्त/ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
 - (क)- अध्यापक स्नातक उपाधि प्राप्त हो।
 - (ख)- प्रथम नियुक्ति (प्रशिक्षित वेतनमान) के उपरान्त 31 जून, 2014 की तिथि तक कुमाऊँ मण्डलान्तर्गत न्यूनतम 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा वर्तमान में वेतनमान-9300-34800 (ग्रेड वेतन-4600) में कार्यरत हों।
 - (ग)- शासनादेश/नियमावली के अनुसार निर्धारित विषय संयोजन सम्बन्धी उपबन्ध पूर्ण करता हो।
 - (घ)- पदोन्नत अध्यापक को प्रशिक्षित स्नातक न होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा गठित संस्था के माध्यम से निर्धारित प्रमाण पत्र अथवा एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना होगा। यदि उक्त प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा नियुक्ति वर्ष के पश्चात के तीन वर्षों में प्राप्त नहीं किया जाता है तो अगली वेतनवृद्धि तभी देय होगी जब कि ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त कर लेंगे। परन्तु यह कि पदोन्नति की तिथि को 55 वर्ष अथवा अधिक आयु के अभ्यर्थी के लिए ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।
- 10- सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि के 15 दिन भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो उनकी पदोन्नति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य के सम्मुख अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) प्रस्तुत करेंगे।
- 11- कार्यालय आदेश पंजिका।

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल



कार्यालय : मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल
 आदेश संख्या-सेवाए-3क(2)/अराज0/पदो0/ **15** /2015-16 दिनांक **13** अप्रैल, 2015
विज्ञापित/पदोन्नति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 के भाग-5 भर्ती प्रक्रिया के प्रस्तर-16(1) में निहित प्राविधानों तहत राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालयों में समान वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी वेतनक्रम-9300-34800 ग्रेड वेतन-4600 में उनके विकल्प के आधार पर सहायक अध्यापक स्नातक वेतनक्रम में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-06 में अंकित विद्यालय में पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्तता को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्रदान की जाती है। उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं को आदेश निर्गत की तिथि से 15 दिन के भीतर अपने पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। पदोन्नति के फलस्वरूप तैनाती के विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने वाले शिक्षक/शिक्षिकाओं की आगामी तीन वर्ष तक पदोन्नति नहीं की जायेगी। पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी। उक्त पदोन्नतियां माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित याचिका संख्या-225/एस0एस0/2015 एवं सम्बन्धित अन्य रिट याचिकाओं में माननीय न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगी।

विषय-व्यायाम (सामान्य शाखा)

क्र0 स0	शिक्षक/शिक्षिका का नाम पदनाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद	जन्म तिथि	पदस्थापित विद्यालय का नाम	अन्य विवरण
01	02	03	04	05	06	07
01	श्री प्रदीप बोरा स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 खर्ककार्की	चम्पावत	30/06/1972	रा0उ0मा0वि0 मिरतोला, चम्पावत	-
02	श्री पूरन सिंह नयाल स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 पीपलपड़ाव	नैनीताल	02/11/1972	रा0उ0मा0वि0 नयागाँव, नैनीताल	-
03	श्री राजेश कुमार बनकोटी स0अ0	रा0जू0हा0 बटगरी	पिथौरागढ़	25/09/1973	रा0इ0का0 सेराघाट, पिथौरागढ़ सी0 श्रेणी	-
04	गम्भीर सिंह स0अ0	रा0जू0हा0 जालड़ी	पिथौरागढ़	03/05/1974	रा0उ0मा0वि0 चामाचौड़, पिथौरागढ़	-
05	कैलाश सिंह मेहरा प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 सुपोखरा	पिथौरागढ़	06/05/1974	रा0उ0मा0वि0 विर्था, पिथौरागढ़	-
06	श्री राजेन्द्र सिंह स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 चत्थियां	चम्पावत	07/07/1974	रा0इ0का0 देवरी खटीमा, उधमसिंहनगर	-
07	श्री मुकेश वर्मा	सी0आर0सी0 खर्ककार्की	चम्पावत	10/10/1975	रा0उ0मा0वि0 मोराड़ी, चम्पावत	-
08	दिनेश सिंह रावत	बी0आर0सी0 बिण	पिथौरागढ़	01/06/1968	रा0उ0मा0वि0 डोडा, पिथौरागढ़	-
09	कृष्णा जोशी स0अ0	रा0जू0हा0 लछिमा	पिथौरागढ़	02/10/1971	रा0उ0मा0वि0 बड़ालू, पिथौरागढ़	-
10	श्री मादो सिंह राठौर प्र0अ0	रा.प्रा.वि., टकनार	बागेश्वर	26/08/1961	रा0इ0का0 सानीउडियार, बागेश्वर	-
11	श्री सुरेन्द्र कुमार रावत प्र0अ0	रा.प्रा.वि., गोगिनापानी	बागेश्वर	25/04/1965	रा0इ0का0 बबियाड़, नैनीताल	-
12	श्री ललित सिंह प्र0अ0	रा.प्रा.वि., सुलमती	बागेश्वर	04/04/1966	रा0उ0मा0वि0 तिलाड़ी, बागेश्वर	-
13	श्रीमती गीता काण्डपाल प्र0अ0	रा.प्रा.वि., उडलगाँव	बागेश्वर	20/07/1967	रा0इ0का0 कन्यालीकोट, बागेश्वर	-
14	श्री महेश चन्द्र तिवारी स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 डूंगरालेटी	चम्पावत	08/02/1967	रा0इ0का0 पुलहिण्डोला, चम्पावत	-

(श्रीमती सुषमा सिंह)
 मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
 कुमाऊँ मण्डल नैनीताल
 क्रमशः पेज 2.....

पृ0सं0/सेवाएं-3क(2)/अराज0/ 349-58

/2015-16 दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 01- सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, शासन, देहरादून।
- 02- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 03- निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 04- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- 05- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)।
- 06- वरिष्ठ कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद।
- 07- वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- 08- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
- 09- सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य को इस आशय के साथ कि पदोन्नत शिक्षक को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों का निम्नानुसार भली-भाँति परीक्षण/सत्यापन कर लें, तभी सम्बन्धित को कार्यभार मुक्त/ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
 - (क)- अध्यापक स्नातक उपाधि प्राप्त हो।
 - (ख)- प्रथम नियुक्ति (प्रशिक्षित वेतनमान) के उपरान्त 31 जून, 2014 की तिथि तक कुमाऊँ मण्डलान्तर्गत न्यूनतम 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा वर्तमान में वेतनमान-9300-34800 (ग्रेड वेतन-4600) में कार्यरत हों।
 - (ग)- शासनादेश/नियमावली के अनुसार निर्धारित विषय संयोजन सम्बन्धी उपबन्ध पूर्ण करता हो।
 - (घ)- पदोन्नत अध्यापक को प्रशिक्षित स्नातक न होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा गठित संस्था के माध्यम से निर्धारित प्रमाण पत्र अथवा एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना होगा। यदि उक्त प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा नियुक्ति वर्ष के पश्चात के तीन वर्षों में प्राप्त नहीं किया जाता है तो अगली वेतनवृद्धि तभी देय होगी जब कि ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त कर लेंगे। परन्तु यह कि पदोन्नति की तिथि को 55 वर्ष अथवा अधिक आयु के अभ्यर्थी के लिए ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।
- 10- सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि के 15 दिन भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो उनकी पदोन्नति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य के सम्मुख अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) प्रस्तुत करेंगे।
- 11- कार्यालय आदेश पंजिका।

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

विज्ञप्ति/पदोन्नति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 के भाग-5 भर्ती प्रक्रिया के प्रस्तर-16(1) में निहित प्राविधानों तहत राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालयों में समान वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी वेतनक्रम-9300-34800 ग्रेड वेतन-4600 में उनके विकल्प के आधार पर सहायक अध्यापक स्नातक वेतनक्रम में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-06 में अंकित विद्यालय में पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्तता को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्रदान की जाती है। उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं को आदेश निर्गत की तिथि से 15 दिन के भीतर अपने पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। पदोन्नति के फलस्वरूप तैनाती के विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने वाले शिक्षक/शिक्षिकाओं की आगामी तीन वर्ष तक पदोन्नति नहीं की जायेगी। पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी। उक्त पदोन्नतियां माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित याचिका संख्या-225/एस0एस0/2015 एवं सम्बन्धित अन्य रिट याचिकाओं में माननीय न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगी।

विषय-व्यायाम (सामान्य शाखा)

क्र0 स0	शिक्षक/शिक्षिका का नाम पदनाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद	जन्म तिथि	पदस्थापित विद्यालय का नाम	अन्य विवरण
01	02	03	04	05	06	07
01	श्री रामायण राम स0अ0	रा0पू0मा0वि0 पचपकरिया	चम्पावत	22/03/1968	रा0उ0मा0वि0 रियासी, चम्पावत	-
02	श्री दुर्गेश चन्द्र जोशी स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 छीड़ाबॉस	चम्पावत	14/03/1975	रा0इ0का0 बरदाखान, चम्पावत	-
03	श्रीमती शीला स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0कलौटा	अल्मोड़ा	11/12/1967	रा0उ0मा0वि0 ढौरा, अल्मोड़ा	-
04	देव सिंह प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 मैठानी	अल्मोड़ा	20/04/1972	रा0इ0का0 क्वैराला सल्ट, अल्मोड़ा	-
05	आनन्द सिंह प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 भूलबगड़	अल्मोड़ा	12/06/1974	रा0इ0का0 गुमटी, अल्मोड़ा	-
06	हरीश लाल वर्मा प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 अछरौन	अल्मोड़ा	01/08/1977	रा0इ0का0 नगचूलाखाल सल्ट अल्मोड़ा	-
07	विजेन्द्र प्रसाद स0अ0	रा0जू0हा0 व्याती	पिथौरागढ़	25/05/1965	रा0इ0का0 नाचनी, पिथौरागढ़	-
08	श्री जीवन चन्द्र राय प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 कोट बसान	चम्पावत	28/01/1968	रा0इ0का0 दिगालीचौड़, चम्पावत	-
09	चन्द्रा पाण्डेय प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 रौटला	चम्पावत	01/06/1968	रा0इ0का0 रौंसाल, चम्पावत	-
10	श्री जनेन्द्र सिंह प्र0अ0	रा.प्रा.वि. सानीउडियार	बागेश्वर	09/07/1972	रा0उ0मा0वि0 बाजीरौट, बागेश्वर	-
11	श्री सुरेन्द्र सिंह प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 देवकुड़ा तल्ला	चम्पावत	05/04/1975	रा0उ0मा0वि0 लुमती, पिथौरागढ़	-
12	श्री कैलाश चन्द्र सिंह प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 पट्यूड़ा	चम्पावत	07/04/1975	रा0उ0मा0वि0 सिंगदा, चम्पावत	-
13	श्री नरेन्द्र कुमार थापा स0अ0	रा0पू0मा0वि0 दुधौरी	चम्पावत	25/08/1976	रा0इ0का0 रमक, चम्पावत	-

(श्रीमती सुषमा सिंह)
मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल
क्रमशः पेज 2.....

पृ0सं0/सेवारं-3क(2)/अराज0/ 354-68

/2015-16 दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 01- सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, शासन, देहरादून।
- 02- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 03- निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 04- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- 05- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)।
- 06- वरिष्ठ कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद।
- 07- वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- 08- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
- 09- सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य को इस आशय के साथ कि पदोन्नत शिक्षक को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों का निम्नानुसार भली-भाँति परीक्षण/सत्यापन कर लें, तभी सम्बन्धित को कार्यभार मुक्त/ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
 - (क)- अध्यापक स्नातक उपाधि प्राप्त हो।
 - (ख)- प्रथम नियुक्ति (प्रशिक्षित वेतनमान) के उपरान्त 31 जून, 2014 की तिथि तक कुमाऊँ मण्डलान्तर्गत न्यूनतम 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा वर्तमान में वेतनमान-9300-34800 (ग्रेड वेतन-4600) में कार्यरत हों।
 - (ग)- शासनादेश/नियमावली के अनुसार निर्धारित विषय संयोजन सम्बन्धी उपबन्ध पूर्ण करता हो।
 - (घ)- पदोन्नत अध्यापक को प्रशिक्षित स्नातक न होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा गठित संस्था के माध्यम से निर्धारित प्रमाण पत्र अथवा एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना होगा। यदि उक्त प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा नियुक्ति वर्ष के पश्चात के तीन वर्षों में प्राप्त नहीं किया जाता है तो अगली वेतनवृद्धि तभी देय होगी जब कि ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त कर लेंगे। परन्तु यह कि पदोन्नति की तिथि को 55 वर्ष अथवा अधिक आयु के अभ्यर्थी के लिए ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।
- 10- सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि के 15 दिन भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो उनकी पदोन्नति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य के सम्मुख अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) प्रस्तुत करेंगे।
- 11- कार्यालय आदेश पंजिका।

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

कार्यालय : मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल
 आदेश संख्या-सेवाएं-3क(2)/अराज0/पदो0/ 17 /2015-16 दिनांक 13 अप्रैल, 2015
विज्ञप्ति/पदोन्नति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 के भाग-5 भर्ती प्रक्रिया के प्रस्तर-16(1) में निहित प्राविधानों तहत राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालयों में समान वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी वेतनक्रम-9300-34800 ग्रेड वेतन-4600 में उनके विकल्प के आधार पर सहायक अध्यापक स्नातक वेतनक्रम में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-06 में अंकित विद्यालय में पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्तता को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्रदान की जाती है। उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं को आदेश निर्गत की तिथि से 15 दिन के भीतर अपने पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। पदोन्नति के फलस्वरूप तैनाती के विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने वाले शिक्षक/शिक्षिकाओं की आगामी तीन वर्ष तक पदोन्नति नहीं की जायेगी। पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी। उक्त पदोन्नतियां माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित याचिका संख्या-225/एस0एस0/2015 एवं सम्बन्धित अन्य रिट याचिकाओं में माननीय न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगी।

विषय-व्यायाम (महिला शाखा)

क्र0 स0	शिक्षक/शिक्षिका का नाम पदनाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद	जन्म तिथि	पदस्थापित विद्यालय का नाम	अन्य विवरण
01	02	03	04	05	06	07
01	श्रीमती हेमा नेगी समन्वयक	एन.पी.आर.सी. कुवरपुर	नैनीताल	23/09/1975	रा0क0उ0मा0वि0 रैलाकोट, अल्मोड़ा	-
02	श्रीमती मीना नयाल प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 पीपलपड़ाव	नैनीताल	02/12/1972	रा0बा0इ0का0 हल्द्वानी, नैनीताल	-
03	श्रीमती अन्जु दिगारी प्र0अ0	रा.प्रा.वि.कनस्थारी	बागेश्वर	09/02/1970	रा0बा0इ0का0 बागेश्वर	विधवा
04	श्रीमती भावना पन्त प्र0अ0	रा.प्रा.वि., पिंगलो	बागेश्वर	09/05/1971	रा0क0उ0मा0वि0 ध्याडी, अल्मोड़ा	-

(श्रीमती सुषमा सिंह)
 मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
 कुमाऊँ मण्डल नैनीताल
 क्रमशः पेज 2.....

पू0सं0/सेवाएं-3क(2)/अराज0/ 369-417

/2015-16 दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 01- सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, शासन, देहरादून।
- 02- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 03- निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 04- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- 05- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)।
- 06- वरिष्ठ कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद।
- 07- वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- 08- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
- 09- सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य को इस आशय के साथ कि पदोन्नत शिक्षक को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों का निम्नानुसार भली-भाँति परीक्षण/सत्यापन कर लें, तभी सम्बन्धित को कार्यभार मुक्त/ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
 - (क)- अध्यापक स्नातक उपाधि प्राप्त हो।
 - (ख)- प्रथम नियुक्ति (प्रशिक्षित वेतनमान) के उपरान्त 31 जून, 2014 की तिथि तक कुमाऊँ मण्डलान्तर्गत न्यूनतम 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा वर्तमान में वेतनमान-9300-34800 (ग्रेड वेतन-4600) में कार्यरत हों।
 - (ग)- शासनादेश/नियमावली के अनुसार निर्धारित विषय संयोजन सम्बन्धी उपबन्ध पूर्ण करता हो।
 - (घ)- पदोन्नत अध्यापक को प्रशिक्षित स्नातक न होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा गठित संस्था के माध्यम से निर्धारित प्रमाण पत्र अथवा एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना होगा। यदि उक्त प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा नियुक्ति वर्ष के पश्चात के तीन वर्षों में प्राप्त नहीं किया जाता है तो अगली वेतनवृद्धि तभी देय होगी जब कि ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त कर लेंगे। परन्तु यह कि पदोन्नति की तिथि को 55 वर्ष अथवा अधिक आयु के अभ्यर्थी के लिए ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।
- 10- सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि के 15 दिन भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो उनकी पदोन्नति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य के सम्मुख अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) प्रस्तुत करेंगे।
- 11- कार्यालय आदेश पंजिका।

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल न्यौताल